## IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA Civil Writ Jurisdiction Case No.1863 of 2023

M/s Technoculture Resorts and Business Centre Private Limited, through its authorized Representative Sushma Kumari, Female, aged about 54 Years having its registered Office at NA, Arya Motors India Pvt. Ltd., NA, Patuaha, P.S. Saharsa, District-Saharsa.

Versus

#### ... ... Petitioner/s

- The State of Bihar through Commissioner Commercial Tax Department. 1.
  - District Magistrate, Saharsa, District- Saharsa.
- 3. Joint Commissioner of State Tax, Purnea Division, District- Purnea.
- Joint Commissioner of State Tax, Saharsa Circle, Saharsa. 4.
- Assistant Commissioner of State Tax, Saharsa Circle, Saharsa. 5.
- Certificate Officer, Saharsa, District- Saharsa. 6.

		Respondent/s
Appearance :		
For the Petitioner/s For the Respondent/s	:	Mr. Anurag Saurav, Advocate
	:	Dr. K.N.Singh, Addl.Solicitor General
For the State	:	Mr. Anshuman Singh, Sr. SC, CGST& CX Mr. Vikash Kumar, S.C.11

#### CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE and

#### HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY ORAL ORDER

## (Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

5 12-07-2023

2.

The petitioner is aggrieved with the order passed on 22.12.2020 produced as Annexure-6. The only contention raised is that when the objection was in place the Assessing Officer has not considered the said objection. In fact, the assessment order clearly indicates that there is no objection in place. The petitioner contends that in fact, an objection was filed as per Annexure-5. We have looked at Annexure -5 which is not even signed. There is no acknowledgment of such objection by the

#### Assessing Officer also.

In any event, even assuming that there was an objection in place the petitioner ought to have taken up the issue before the first appellate authority, under section 107 of the Bihar General Goods and Services Tax Act. Three months is provided for filing an appeal and then a further time of one month is also provided for filing an appeal with delay. It is trite that the first appellate authority or the tribunal or even this Court cannot condone the delay beyond the period provided for filing a delayed appeal. It has also to be noticed that the writ petition was filed after three years of the order, in the year 2023.

We find absolutely no reason to entertain the writ petition and the same stands dismissed.

(K. Vinod Chandran, CJ)

#### (Partha Sarthy, J)

#### Bibhash/Saurabh





# पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

# दिवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद सं**-1863/2023**

मेसर्स एम/एस टेक्नोकल्चर रिसॉर्ट्स एंड बिजनेस केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड, अपने अधिकृत प्रतिनिधि सुषमा कुमारी, महिला, आयु-54 वर्ष के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय एन. ए., आर्य मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एनए, पटुआहा, थाना-सहरसा, जिला-सहरसा।

..... याचिकाकर्ता/गण

### बनाम्

- आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के माध्यम से बिहार राज्य। 1.
- जिलाधिकारी, सहरसा, जिला-सहरसा। 2.
- राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, पूर्णिया प्रभाग, जिला-पूर्णिया। 3.
- राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा। 4.
- सहायक राज्य कर आयुक्त, सहरसा अंचल, सहरसा। 5.
- प्रमाणपत्र अधिकारी, सहरसा, जिला-सहरसा। 6.

..... उत्तरदाता/गण

# उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तओं के लिएः श्री अनुराग सौरव, अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिएः डॉ. के. एन. सिंह, अपर महाधिवक्ता श्री अंशुमान सिंह, सीनियर एससी, सी. जी. एस. टी. और सी. एक्स. राज्य के लिएः श्री विकास कुमार, एस. सी. 11

गणपूर्ति/गणमान्य-माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश )

5 12-07-2023

याचिकाकर्ता अनुलग्नक-6 के रूप में प्रस्तुत 22.12.2020 पर पारित आदेश से व्यथित है। एकमात्र तर्क यह है कि जब आपत्ति थी तो मूल्यांकन अधिकारी ने उक्त आपत्ति पर विचार नहीं किया था। वास्तव में, मूल्यांकन आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि कोई आपत्ति नहीं है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वास्तव में, अनुलग्नक-5 के अनुसार एक आपत्ति दायर की गई थी। हमने अनुलग्नक-5 को देखा है जिस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए गए हैं।मूल्यांकन अधिकारी द्वारा भी इस तरह की आपत्ति की कोई स्वीकृति नहीं है।

किसी भी स्थिति में, यह मानते हुए भी कि कोई आपत्ति थी, याचिकाकर्ता को बिहार सामान्य वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 107 के तहत पहले अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। अपील दायर करने के लिए तीन महीने का प्रावधान किया गया है और फिर देरी के साथ अपील दायर करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। यह मामूली बात है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण या यहां तक कि यह न्यायालय भी विलंबित अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई अवधि से अधिक देरी को माफ नहीं कर सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आदेश के तीन साल बाद वर्ष 2023 में दीवानी याचिका दायर की गई थी।

हम रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं पाते हैं और याचिका वहीं खारिज हो जाती है।

> (के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश) (पार्थ सारथी, न्यायाधीश)

खण्डन (डिस्क्लेमर) :-- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।